**Haryana Government**
**Department of Fisheries**
**Bays No. 31-32, Sector-4, Panchkula**
**E-Auction Notice**

No.DA-I/e-Auction/PKL/2026/ 19901 Dated: 30-07-2026

It is hereby notified for the information of the General Public that e- auction of Fishing Rights of Notified Waters of District Sopipat, Haryana State, (as per schedule of Haryana Fisheries Rules-1996) shall be put to open public auction through the process of e-auction. The e-auction will be held on **06-08-2026** at **9.00 AM to 12:00 Noon** and bids can be submitted from 09:00 AM to 12:00 Noon. The important instructions for participation in the online e-auction are as under:-

The bids shall be made online on the website www.eauction.gov.in

The intending bidders before participation in the e-auction/ bidding process will be required to create ***their user account online by selecting the option of e-auction from discipline column and obtain user-id /password*** on the websitewww.eauction.gov.in

B. (If already created user account, this step needs to be skipped). For necessary instructions regarding participation in e-auction of Fishing Rights of Notified waters of the Haryana State, please visit the aforementioned website and click on the available link "How to...?" at the Home Page.

After getting the ***user account created***, the prospective/intending bidders shall upload following documents (in PDF format not exceeding limit of 10 MB for individual document) along with deposition of **earnest money (EMD)** in shape offline Demand Draft in favour of Director Fisheries Haryana in order to participate in the e-auction latest by **04-08-2026 till 04:00 PM** anytime after the publication of this document.

The details of documents to be uploaded are as under:-

(i) Copy of the **Partnership deed or Article of Association (in case of Fisherman Cooperative Society registered under the law relating to the registration of Cooperative Societies),** or an affidavit (in case of sole proprietor). No transfer or addition or deletion of the partners/Directors will be permissible before execution of the agreement;

(ii) A copy of authority letter by the Partnership Firms or **Copy of resolution** of Fisherman Co- operative Society in favour of the person who shall be offering the bids online for such intending agency.

(iii) Earnest Money will have to be deposited, in account of the District Fisheries Officer, Sonipat for which bid has to be made, shown in the **Table-'A'** against Sonipat District, through offlilne payment in due course of time i.e. up to 04-08-2026 till 04:00 PM. In case the intended bidder fails to pay offline Demand Draft of EMD fee under the stipulated time frame will not be allowed to enter in e-auction of Fishing Rights of Notified waters.

Note: - Any document uploaded as per **(i), (ii) and (iii)** above at later stage/ after e-auction found to be wrong/ false shall invite revocation /cancellation of bid and forfeiture of amount deposited at the time of e-auction apart from debarring the bidder from participation in any subsequent bids for a period of 5 years.

1. Any bidder interested to participate in the e-auction can submit his bid(s) from date 06-08-2026 from 09:00 am to 12:00 Noon.
2. However, in case any bid in respect of any District is received 10 minutes prior to time fixed for closure for the bids i.e. bid received between 11:50 AM to 12 noon, then the time for closure of the e-auction would be extended automatically by 10 minutes, so that equal opportunity is made available to the persons participating in the bidding process. Such extensions of ten minutes will continue till bids are received within next 10 minutes of last bid for any District, otherwise the same would get concluded.
3. **The minimum bid incremental value during the initial time provided (i.e. from 9:00 AM to upto 12:00 noon) will be multiple of Rs.1000 (As shown in Table-'A' District). However, the increment during extended period (06.08.2026 from 12:00 noon onwards) will be multiple of Rs. 2000/- (Rs. Two thousand) instead of Rs. 1000/- (Rs. One Thousand).**
4. The date for e-auction for Sonipat District as per Table-'A' will be 06/08/2026. E-auction of Sonipat district which will not be completed on 06.08.2026 shall again be held on 13-08-2026, 20-08-2026 and 27-08-2026 accordingly.

**The details of the Reserve Price, Earnest Money, Detail of Bank Account for Deposition of 1/3rd amount of e-auction and 5% of contract amount as Security and other terms and conditions of the e-auction of Fishing Rights of Notified water of Haryana State for Sonipat district is as tabulated below:-**

**District Wise detail (Table –'A'):-**

| Sr. No. | Name of District | Reserve Price (in Rs.) | Earnest Money (in Rs.) | Detail of Bank Account for Deposition of 1/3rd of e-auction amount and 5% of contract amount as Security |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sonepat | 21,00,000/- | 2,10,000/- | **District Fisheries Officer Sonepat**<br>Bank Name: Central Bank of India<br>Bank IFSC Code: CBIN0282323<br>Bank MICR Code:110016091<br>Bank Address: Atlas Road, Model town Sonepat<br>Bank A/C No.: 1137021892<br>Mobile No.:9896681447<br>Unique Code: FL4B2S |

## E-auction की शर्ते :–

1. अधिसूचित पानियो की निलामी की समय अवधि 01.09.2026 से 31.08.2027 तक होगी।
2. मत्स्य नियमावली 1996 के अधीन हरियाणा राज्य के अधिसूचित पानियों में मछली पकडने के अधिकारों की ई–निलामी प्रधानाचार्य, जलकृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, हिसार की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा e-auction के माध्यम से 06–08–2026 को करवाई जायेगी।
3. मछली ठेके निलाम करने वाली समिति की अध्यक्षता प्रधानाचार्य, जलकृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, हिसार करेंगे। निलामी समिति की सिफारिश के आधार पर निरीक्षण उपरान्त निलामी की मंजूरी निदेशक, मत्स्य पालन विभाग हरियाणा, पंचकुला द्वारा दी जायेगी।
4. सरकारी पानी जो निलाम किये जा रहे है, में कोई व्यक्ति बिना लाईसैंस के मछली नहीं पकड़ सकता। लाईसैस, सम्बन्धित जिले का अधिकारी देगा।

5. निलामी करने वाला अधिकारी अधिक से अधिक बोली मन्जूर करने का पाबन्द नहीं होगा।

6. निलामी करने वाला अधिकारी जिला के पानियों को एक या एक से अधिक भागों में निलाम करने का अधिकार रखता है।

7. अगर अधिक से अधिक बोली किसी फिशरमैंन को–ओप्रेटिव सोसाईटी, जो कि मौजूदा कानून के मुताबिक मन्जूर सुदा है, की है तो उससे ज्यादा बोली वही मन्जूर होगी जो सोसाईटी की बोली से 10 प्रतिशत अधिक होगी। अगर वही सबसे अधिक बोली पिछले तीन सालों की औसत से कम होगी तो अधिकारी उस अधिक से अधिक बोली को या फिशरमैंन को–ओप्रेटिव सोसाईटी की बोली को मन्जूर करने का पाबन्द नहीं होगा और ठेका दोबारा निलाम करने का अधिकारी होगा।

8. जिस ठेकेदार की बोली मन्जूर होगी, उस सफल बोलीदाता को ठेके की पूर्ण धनराशि मौके पर जमा करवानी होगी या ठेके की कुल बोली का 1/3 भाग तथा कुल बोली की 5 प्रतिशत राशि धरोहर राशि के रूप में मौके पर जमा करवानी होगी, शेष 2/3 हिस्से की राशि निलामी की तिथि से 30 दिन के अन्दर–2 जमा करवानी होगी। ऐसा न करने पर बोलीदाता द्वारा मौके पर जमा करवाई गई 1/3 हिस्से की धनराशि तथा 5 प्रतिशत जमा करवाई गई कैश सिक्योरिटी जब्त कर ली जायेगी। यदि उच्चतम बोली की धनराशि **50,000/–रू0** से कम है तो पूरी धनराशि का भुगतान मौके पर ही करना होगा। **(नोटः–** उक्त वर्णित धनराशि टेबल–ए मे दर्शाए गए विवरणानुसार सम्बन्धित जिला अधिकारी के खाता संख्या मे RTGS/NEFT के माध्यम से Online जमा करवानी होगी।)

9. यदि लाईसैंसदार इन कानूनों में से या लाईसैंस की किसी शर्त को तोड़ता है तो कानूनी कार्यवाही के अलावा उसकी जमानत की रकम या कुछ भाग, जो भी लाईसैंस जारी करने वाला अधिकारी ठीक समझे, जब्त कर लिया जायेगा। यदि लाईसैंस रद्द नहीं किया जाता तो ठेकेदार जमानत जब्त करने की सूचना लाईसैंस जारी करने वाले अधिकारी से मिलते ही जमानत की रकम या उसका जब्त किया गया भाग तुरन्त जमा करवाकर जमानत की रकम पूरी करेगा ।

10. ठेकेदार द्वारा निलामी की पूर्ण राशि जमा करवाने तथा इकरारनामा देने पर फार्म (बी) पर लाईसैंस जारी कर दिया जायेगा ।

11. लाईसैंस या ठेके की अवधि कानून के अर्न्तगत एक सितम्बर से अगले वर्ष की 31 अगस्त तक होगी ।

12. लाईसैंसदार या एजैंन्ट या परमिटदार एक जुलाई से 31 अगस्त तक बन्दी के मौसम में बन्सी डोरी और हाथ की डोरी के अलावा किसी भी साधन से मछली नहीं पकड़ेगा ।

13. लाईसैंसदार खुद या उसके नुमाईन्दे जिनके पास सम्बन्धित जिला मत्स्य अधिकारी के हस्ताक्षर वाले परमिट होंगे, वही मछली पकड़ने का हकदार होगा ।

14. ठेकेदार स्वंय या उसके एजैन्ट का नुमाईदा उन पानियों में जहां शिकार बन्द किया गया है, मछली नही पकडेगा। इसके साथ हरियाणा मत्स्य नियमावली, 1996 की धारा 10 के अर्न्तगत यमुनानगर के निम्नलिखित पानियों में मछली पकड़ने की पाबन्दी होगी :–

(क) यमुना नदी : हथिनी कुण्ड से गांव कलैसर तक।

(ख) पश्चिमी यमुना नहर : गांव जैधरी दादुपुर हैड वर्कस आर0डी0 51900 से 66347 तक मुख्य लाईन अपर तथा दादुपुर हैड वर्क्स से गांव अमादलपुर तक आर0डी0 0 से 32600 तक मुख्य लाईन लोअर

15. लाईसैंसदार या उसके एजैन्ट का नुमाईदा नीचे लिखे हुए मछली पकडने के साधनों के ईलावा किसी ओर तरीके से मछली नहीं पकड सकते है।

(अ) सभी प्रकार के जाल जिनमें खानों (घेरों) की एक गांठ से दूसरी गांठ तक का अन्तर चार सैंटीमीटर हो या चारों ओर का घेरा 16 सैंटीमीटर हो।

(ब) कुण्डियों वाली लाईन।

(स) बन्सी डोरी।

(द) हाथ धागा कुण्डियां।

16. ठेकेदार पुलो के उपर और नीचे 100 मीटर तक सिवाऐ कुण्डी डोरी के किसी ओर साधन से शिकार नहीं कर सकता।

17. ठेकेदार यमुना नदी के रेलवे पुल जगाधरी के 200 मीटर उपर व नीचे तथा घग्गर नदी के पुल से 200 मीटर उपर व नीचे सिवाऐ बन्सी डोरी के किसी भी अन्य साधन से मछली नहीं पकड सकता।

18. ठेकेदार, उसके एजैन्ट या नुमाईदें निलाम हुए पानी में कोई स्थाई ईजनों का मछली पकड़ने के लिये न तो निर्माण करेगा और न ही करवायेगा। महा–जाल, मछली की रूकावट के लिये नहीं लगायेगा।

19. ठेकेदार जहर डाल कर, बिजली लगाकर, बारूद मारकर या अन्य जहरीली औषधि का, पटाखे वाली चीज द्वारा मछली नही पकडेगा और न ही वह अपने एजैण्ट व नुमाईदें को पकड़ने देगा।

20. लाईसैंसदार को अपना लाईसैंस उच्च अधिकारियों को दिखाना होगा, अन्यथा अधिकारी ऐसे व्यक्ति को पंजाब मत्स्य क्षेत्र अधिनियम 1914 की धारा 6 के अधीन बिना वारन्ट के गिरफतार करने के लिये सशक्त है।

21. लाईसैंसदार, उसके एजैण्ट या नुमाईदें 30 सैटींमीटर से कम लम्बी कतला, राहू, मिरगल, कलवास, माहशेर, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प व कामन कार्प किस्म की कोई मछली नही पकड़ेगा, यदि अन्जाने मे पकड़ ली है तो तत्काल सार्वजनिक पानी में जिवित वापिस छोडेगा।

22. ठेकेदार, निदेशक मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा से पूर्व प्राप्त स्वीकृति के बिना किसी के नाम ठेका तबदील नही कर सकता है।

23. ठेकेदार को एक परमिट रजिस्टर रखना होगा, जिसमें जिन व्यक्तियों को परमिट दिया गया है, उनके नाम पते दर्ज करने होगें।

24. लाईसैंसदार को एक रजिस्टर रखना होगा जिसमें पकडी गई मछली, बेची गई मछली का वजन दर्ज करना होगा। जिन साधनों द्वारा मछली पकडी गई हो, वह दर्ज करना होगा तथा जिस किस्म की मछलियां हो और जहाँ से पकड़ी गई हो, दर्ज करना होगा। मछलियों के थोक व प्रचून भाव भी दर्ज करनें होगे।

25. ठेकेदार एक मासिक रिपोर्ट प्रत्येक माह की 5 तारीख तक सम्बन्धित जिला मत्स्य अधिकारी को भेजेगा, जिसमें पिछले पैरा में दी गई सारी सूचना होगी। अगर ठेकेदार रिपोर्ट निश्चित समय पर नही भेजता है, तो 10/– रू0 प्रतिदिन के हिसाब से 10 दिन तक जुर्माना वसूल किया जायेगा। यदि वह दर्शाई गई अवधि के अन्दर रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो उसका लाईसैंस रदद किया जा सकता है।

26. ठेकेदार उस मछली पर कमीशन नही लेगा जो मछली विभाग उसको बेचने के लिये देगा।

27. यदि मछली ठेकेदार तथा उसका एजैन्ट अथवा उसका नामजद व्यक्ति नियमों में किसी प्रकार के उल्लघंन के सम्बन्ध में, जो उसके ध्यान में आता है, उसकी सूचना ईलाके के तहसीलदार या उपायुक्त तथा विभाग के अधिकारी को देने के लिये बाध्य होगा।

28. ठेकेदार सरकार से किसी प्रकार का कोई भी मुआवजा, पानी गन्दा होने, बाढ़ के आ जाने या कीमतो के घट जाने या कानूनी कार्यवाही करने के कारण या किसी अन्य कारण से नही ले सकता।

29. ठेकेदार किसी ऐसे नुकसान के लिये मुआवजे का दावा करने का हकदार नही होगा जो उसे इन नियमों के किसी उपबन्ध अथवा उसकी अनुज्ञप्ति के किसी निबन्धन के उल्लघंन के लिये मत्स्य पालन विभाग के किसी कर्मचारी/अधिकारी द्वारा उसके विरूद्ध की गई कार्यवाही के कारण हुआ हो।

30. निदेशक, मत्स्य पालन विभाग हरियाणा का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मछली के हिसाब–किताब की जांच–पड़ताल के लिये ठेकेदार या मछली पकड़ने, स्टोर करने या मछली बेचने की जगह में दाखिल हो सकता है और रिकार्ड देख सकता है।

31. कानून के विरूद्ध मछली पकडने पर ठेकेदार का तमाम मछली पकड़ने का सामान जब्त किया जा सकता है और नजदीकी पुलिस थाने में ले जाया जा सकता है तथा पकड़ी गई मछली जब्त करके निलाम की जा सकती है।

32. यदि ठेकेदार या उसका एजैण्ट का नुमाईन्दा इन कानूनों में से किसी को तोड़ता है या लाईसैंस की किसी शर्त को तोड़ता है, तो मत्स्य विभाग द्वारा कानून के अधीन कार्यवाही करने के अतिरिक्त उसका लाईसैंस भी रद्द किया जा सकता है। इस हालात में ठेका दोबारा निलाम किया जा सकता है और लाईसैंसदार को पुनः निलाम करने का खर्चा तथा जो घाटा सरकार को होगा, देना पड़ेगा। लाईसैंस रद्द होने की हालात में जारी किये गये परमिट भी रद्द समझे जायेगें।

33. लाईसैंस जारी करने वाला अधिकारी निलाम किये हुए पानियों में बन्सी डोरी के लाईसैंस जारी कर सकता है।

इन लाईसैसों की फीस निम्न प्रकार होगी:–

| | |
|---|---|
| 1. एक वर्ष के लिये | 100/–रू0 |
| 2. एक माह के लिये | 50/–रू0 |
| 3. एक सप्ताह के लिये | 25/–रू0 |
| 4. दैनिक | 5/–रू0 |

34. विभाग निलाम किये हुये पानियों में से किसी भी साईज की मछली रिसर्च के लिये, बढ़ोतरी के लिये किसी भी समय और किसी भी साधन से पकड़ सकता है। ठेकेदार इसके लिये कोई भी मुआवजा नही ले सकता।

35. यदि अधिसूचित पानियों में कोई विदेशी मागूंर मछली पाई जाती है तो ठेकेदार को उसे मत्स्य विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों के सामने नष्ट करना होगा।

36. अनुसूचित जाति से सम्बन्धित सफल बोलीदाता को अधिसूचित पानियों में मछली पकड़ने के अधिकारों की प्राप्ति पर स्वीकृत बोली के 50 प्रतिशत की दर से या अधिकतम सीमा 5,00,000/–रू0 जो भी कम हो, कि वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में प्रदान करने का प्रावधान है। उस सफल बोलीदात के पास अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, फैमिली आई0डी0, राशन कार्ड/पैन कार्ड व हरियाणा का निवासी होना जरूरी है।

37. यमुना नदी में मछली पकड़ने के अधिकार के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि यमुना नदी का फैलाव पड़ोसी राज्य (उत्तर प्रदेश) में मछली पकड़ने पर रोकने के लिये हरियाणा सरकार/मत्स्य विभाग की जिम्मेवारी नही होगी ना ही मत्स्य विभाग हरियाणा इस सम्बन्ध में कोई मुआवजा देगा।

38. राज्य के अधिसूचित पानियों में नदियां, नहरें, नालें, झीलें यानि हरियाणा नियमावली, 1996 में नियम–1(2) के तहत दी गई पानियों की अनुसूची के अलावा कोई जल संसाधन शामिल नहीं है।

39. सफल बोलीदाता को कुल निलामी की धनराशि का 1.5 प्रतिशत स्टाम्प डियूटी व 1000/–रू0 प्रति केस रजिस्ट्रेशन फीस के साथ विभाग से करारनामा करना होगा।

40. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त प्रत्येक ठेकेदार को हरियाणा मत्स्य नियमावली 1996 में दर्शाई गई शर्तो की भी अनुपालना करनी होगी।

41 निलामी मे भाग लेने वाले सभी ठेकेदार सबसे उंची बोली Online देख सकते है सबसे उंची बोली देने वाले को उनके registered email/Mobile Number/SMS द्वारा सूचित कर दिया जाएगा।

46 जी०एस०टी० नियमानुसार लागू होगा।

43 हालांकि e-auction का विस्तृत वर्णन दिए जाने बारे सावधानी बरती गई है फिर भी अनजाने मे किसी मानवीय भूल के कारण हुई गलती को निलामी के बाद भी, लेकिन अनुबन्ध से पहले ठीक कर दिया जाएगा ।

48 निलामी प्राधिकारी बिना कोई कारण बताए निलामी करने/निलामी रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

निदेशक मत्स्य पालन विभाग हरियाणा
पंचकूला ।

**मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा**

**ई– निलामी नोटिस**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य के जिला सोनीपत के अधिसूचित पानियों, नदियों, नहरों तथा ड्रैनों में वर्ष 2026–27 (01–09–2026 से 31–08–2027 तक) के लिए मछली पकड़ने के अधिकारों की **ई–**निलामी दिनांक 06–08–2026 को प्रातः 9:00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक Online portal www.eauction.gov.in पर की जायेगी।

इच्छुक बोलीदाता को ई–निलामी शुरू होने से पूर्व निम्नलिखित दिनांक अनुसार धरोहर राशि सांय 4.00 बजे तक जिले के सामने दर्शाई गई धरोहर राशि के **offline Demand Draft in favour of Director Fisheries Haryana, Panchkula** के नाम बनवा कर प्रस्तुत किये जाने हैं।

| निलामी की तिथि | **धरोहर राशि का ड्राफ्ट जमा करवाने की तिथि** |
|---|---|
| 06–08–2026 | **04–08–2026 सांय 4:00 बजे** |
| 13–08–2026 | **11–08–2026 सांय 4.00 बजे** |
| 20–08–2026 | **18–08–2026 सांय 4.00 बजे** |
| 27–08–2026 | **25–08–2026 सांय 4.00 बजे** |

बोलीदाता को 1180/–रुपये धनराशि बतौर e-service fee (Non Refundable), offline, in shape of DD in favour of **“Society for IT initiative of fund for E-Governance, Payable at Chandigarh”** जमा करवानी होगी। सफल बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य सभी बोली दाताओं की बोली की धरोहर राशि बोली समाप्त होने पर संबंधित के बैंक खाते में वापिस कर दी जायेगी। जिस बोलीदाता की बोली मंजूर होगी, उस सफल बोलीदाता को ठेके की पूरी धनराशि अथवा ठेके की कुल बोली का 1/3 भाग के बराबर धनराशि तथा ठेके की कुल धनराशि का 5% भाग के बराबर सिक्योरिटी उसी दिन (ई–निलामी के दिन) RTGS/NEFT के माध्यम से सम्बन्धित जिला मत्स्य अधिकारी के बैंक खाते में जमा करवानी होगी तथा 2/3 हिस्से की धनराशि ई–निलामी की तिथि से 30 (तीस) दिन के अन्दर–अन्दर जमा करवानी होगी। ऐसा न करने पर बोलीदाता द्वारा मौके पर जमा करवाई गई 1/3 हिस्से की धनराशि, धरोहर राशि तथा 5 प्रतिशत जमा करवाई गई कैंश सिक्योरिटी जब्त कर ली जायेगी।

ई–निलामी की शर्ते व अन्य विवरण **Online portal** www.eauction.gov.in **तथा विभागिय website www.harfish.gov.in** पर देखी जा सकती हैं तथा किसी भी कार्य दिवस पर सम्बन्धित जिला के जिला मत्स्य अधिकारी/मण्डल के उप–निदेशक मत्स्य या निदेशक मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा, पंचकूला के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है ।

जिन जिलों की मछली पकडने के अधिकारों की ई–निलामी दिनांक 06–08–2026 में पूर्ण नही होगी, तदानुसार उनकी ई–निलामी पुनः Online दिनांक 13–08–2026, 20–08–2026 व 27–08–2026, को प्रातः 9:00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक की जायेगी ।

ई–निलामी का तिथि वाईज विवरणः–

| ई– निलामी की तिथि | ई– निलामी का समय | टिप्पणी |
|---|---|---|
| 06–08–2026 | प्रातः 9:00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक | ई–निलामी **https://etenders.hry.nic.in** portal पर online की जाएगी तथा ई–निलामी से सम्बन्धित गठित कमेटी कार्यालय निदेशक मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा बेज नं0 31–32, सैक्टर 4, पंचकूला से आवश्यक कारवाई करेगी। |
| 13–08–2026 | –उप– | –उप– |
| 20–08–2026 | –उप– | –उप– |
| 27–08–2026 | –उप– | –उप– |

निदेशक मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा,
पंचकूला ।

पृ0 कमांक वि0स0–I–2026 / 19839-19900 पंचकूला, दिनांक 30-07-2026

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव प्रचार हेतू भेजी जाती हैः–

1. सभी उप–कार्यालय, मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा राज्य।
2. सभी उपायुक्त, हरियाणा राज्य।
3. निदेशक मत्स्य पालन विभाग, पंजाब (चण्डीगढ), हिमाचल प्रदेश (बिलासपुर), राजस्थान (जयपुर), तथा उत्तर प्रदेश (लखनऊ) एवं डिप्टी वार्डन आफ फिशरिज राजकीय मत्स्य बीज फार्म, जी.टी. रोड, सीलमपुर, दिल्ली–53.
4. सभी मछली ठेकेदार, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली व उत्तर प्रदेश ।
5. निदेशक विकास एवं पंचायत हरियाणा, चण्डीगढ ।
6. सभी जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, हरियाणा राज्य ।
7. सभी खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, हरियाणा राज्य ।

निदेशक मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा,
पंचकूला ।

**मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा**
**ई– निलामी नोटिस**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि हरियाणा राज्य के सोनीपत जिला के अधिसूचित पानियों, नदियों, नहरों तथा ड्रैनों में वर्ष 2026–27 (01–09–2026 से 31–08–2027 तक) के लिए मछली पकड़ने के अधिकारों की **ई–**निलामी दिनांक 06–08–2026 को प्रातः 9:00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक Online e-Procurement portal www.eauction.gov.in पर की जायेगी।

इच्छुक बोलीदाता को ई–निलामी शुरू होने से पूर्व निम्नलिखित दिनांक अनुसार धरोहर राशि सांय 4.00 बजे तक जिले के सामने दर्शाई गई धरोहर राशि के Online जमा करवानी होगी।

| निलामी की तिथि | धरोहर राशि का ड्राफ्ट जमा करवाने की तिथि |
|---|---|
| 06–08–2026 | 04–08–2026 सांय 4:00 बजे |
| 13–08–2026 | 11–08–2026 सांय 4.00 बजे |
| 20–08–2026 | 18–08–2026 सांय 4.00 बजे |
| 27–08–2026 | 25–08–2026 सांय 4.00 बजे |

बोलीदाता को 1180/–रुपये धनराशि बतौर e-service fee (Non Refundable), offline in shape of DD in favour of **"Society for IT initiative of fund for E-Governance, Payable at Chandigarh"** जमा करवानी होगी। । सफल बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य सभी बोली दाताओं की बोली की धरोहर राशि बोली समाप्त होने पर संबंधित के बैंक खाते में वापिस कर दी जायेगी। जिस बोलीदाता की बोली मंजूर होगी, उस सफल बोलीदाता को ठेके की पूरी धनराशि अथवा ठेके की कुल बोली का 1/3 भाग के बराबर धनराशि तथा ठेके की कुल धनराशि का 5% भाग के बराबर सिक्योरिटी उसी दिन (ई–निलामी के दिन) RTGS/NEFT के माध्यम से सम्बन्धित जिला मत्स्य अधिकारी के बैंक खाते में जमा करवानी होगी तथा 2/3 हिस्से की धनराशि ई–निलामी की तिथि से 30 (तीस) दिन के अन्दर–अन्दर जमा करवानी होगी। ऐसा न करने पर बोलीदाता द्वारा मौके पर जमा करवाई गई 1/3 हिस्से की धनराशि, धरोहर राशि तथा 5 प्रतिशत जमा करवाई गई केश सिक्योरिटी जब्त कर ली जायेगी।

ई–निलामी की शर्ते व अन्य विवरण **Online e-procurement portal www.eauction.gov.in तथा विभागीय website www.harfish.gov.in** पर देखी जा सकती हैं तथा किसी भी कार्य दिवस पर सम्बन्धित जिला में जिला मत्स्य अधिकारी/मण्डल के उप–निदेशक मत्स्य या निदेशक मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा, पंचकूला के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकती है ।

यदि जिला सोनीपत की मछली पकडने के अधिकारों की ई–निलामी दिनांक 06–08–2026 में पूर्ण नही होगी, तदानुसार उनकी ई–निलामी पुनः Online दिनांक 13–08–2026, 20–08–2026 व 27–08–2026, को प्रातः 9:00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक की जायेगी ।

ऑनलाईन ई–निलामी से संबंधित जानकारी के लिए **Haryana Government e-procurement System** के दूरभाष नं0 0120–4001002 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

हस्ता/–
निदेशक मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा,
बेज नं0 31–32, सैक्टर–4,
पंचकूला ।

## FISHERIES DEPARTMENT HARYANA

### e- auction Notice

It is for the information to General Public that e-auction of Fishing Rights of notified waters, rivers, canals and drains of Sonipat district of Haryana State for the Year 2026-27 (01-09-2026 to 31-08-2027) shall be put to public through e-auction on 06-08-2026 from 9:00 AM to 12:00 Noon online at the e-Procurement portal www.eauction.gov.in.

Before start of the e-auction the interested bidders shall have to deposit earnest money as shown against Sonipat District- on dated as given below:-

| Date of Auction | Date to Deposit Earnest money |
|---|---|
| 06-08-2026 | 04-08-2026 till 4.00 PM |
| 13-08-2026 | 11-08-2026 till 4.00 PM |
| 20-08-2026 | 18-08-2026 till 4.00 PM |
| 27-08-2026 | 25-08-2026 till 4.00 PM |

The Biders have to deposite Rs.1180/- as non refundable e- service fee offline in shape of DD in favour of **"Society for IT initiative of fund for E-Governance, Payable at Chandigarh"** to take part in the e- auction. Upon the conclusion of the bidding process, the earnest money deposits of all bidders other than the successful bidder will be refunded to their respective bank accounts.

The successful bidders will have to deposit online/through RTGS/NEFT the full amount of contract or $1/3^{rd}$ of auction amount, and 5% of the auction amount as security in the bank account of the concerned District Fisheries Officers, on the same day of e-auction and the remaining amount within 30 days from the date of the e-auction. In case of failure to deposit the remaining $2/3^{rd}$ amount by the bidder within the stipulated period of 30 days, the $1/3^{rd}$ amount deposited by the bidder at the time of e-auction and 5% of the auction amount as security and earnest money shall be forfeited.

Other terms and conditions can be seen at the e-Procurement portal www.eauction.gov.in and Haryana Fisheries Departmental website www.harfish.gov.in and details can also be procured from the office of the District Fisheries Officer of the District or Deputy Director Fisheries at Division level or Director Fisheries Haryana, Panchkula.

If e-auction of Sonipat District will not be completed on 06-08-2026 shall again be held on 13-08-2026, 20-08-2026 and 27-08-2026 from 9:00 AM to 12:00 Noon respectively.

For any information regarding e-auction Haryana Government e-Procurement System can be contacted at Phone No. 0120-4001002.

Sd/
Director Fisheries Department Haryana,
Bays. No. 31-32, Sector 4,
Panchkula.